

[2023] 6 एस. सी. आर. 565

ए.

मेसर्स जर्मिन कैपिटल एल. एल. सी. दुबई बनाम

केंद्रीय अनुसंधान और ओ. आर. एस. (2023 की आपराधिक अपील संख्या 1434)

मई 09, 2023

बी.

[कृष्णा मुरारी और संजय कुमार, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.102-अपीलकर्ता कंपनी के खिलाफ कथित रूप से अपीलकर्ता कंपनी से जुड़े एक 'डी' के खिलाफ शुरू किए गए कथित अपराध की अनुसंधान की आवश्यकता के आधार पर रोक आदेश और बैंक गारंटी लगाई गई थी-आयोजित:अनुसंधान अअनुसंधान भअनुसंधान िअनुसंधान यअनुसंधान ुअनुसंधान कअनुसंधान ्अनुसंधान तअनुसंधान -अनुसंधान 'अनुसंधान डअनुसंधान िअनुसंधान 'अनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान भअनुसंधान िअनुसंधान अनुसंधान भअनुसंधान िअनुसंधान अनुसंधान अअनुसंधान पअनुसंधान िअनुसंधान लअनुसंधान कअनुसंधान रअनुसंधान ्अनुसंधान तअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ंअनुसंधान पअनुसंधान नअनुसंधान िअनुसंधान अनुसंधान मअनुसंधान ेअनुसंधान ंअनुसंधान अनुसंधान एअनुसंधान कअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान रअनुसंधान ्अनुसंधान मअनुसंधान चअनुसंधान ाअनुसंधान रअनुसंधान िअनुसंधान /अनुसंधान शअनुसंधान ेअनुसंधान यअनुसंधान रअनुसंधान अनुसंधान धअनुसंधान ाअनुसंधान रअनुसंधान कअनुसंधान /अनुसंधान नअनुसंधान िअनुसंधान दअनुसंधान ेअनुसंधान शअनुसंधान कअनुसंधान अनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान एअनुसंधान कअनुसंधान अनुसंधान पअनुसंधान ्अनुसंधान रअनुसंधान मअनुसंधान ुअनुसंधान खअनुसंधान अनुसंधान पअनुसंधान ्अनुसंधान रअनुसंधान बअनुसंधान ंअनुसंधान धअनुसंधान कअनुसंधान िअनुसंधान यअनुसंधान अनुसंधान वअनुसंधान ्अनुसंधान यअनुसंधान कअनुसंधान ्अनुसंधान तअनुसंधान िअनुसंधान अनुसंधान नअनुसंधान हअनुसंधान िअनुसंधान ंअनुसंधान अनुसंधान थअनुसंधान ाअनुसंधान -अनुसंधान चअनुसंधान ूअनुसंधान ंअनुसंधान कअनुसंधान िअनुसंधान अनुसंधान 'अनुसंधान डअनुसंधान िअनुसंधान 'अनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान िअनुसंधान सअनुसंधान िअनुसंधान अनुसंधान भअनुसंधान िअनुसंधान अनुसंधान तअनुसंधान रअनुसंधान हअनुसंधान अनुसंधान सअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान अअनुसंधान पअनुसंधान िअनुसंधान लअनुसंधान कअनुसंधान रअनुसंधान ्अनुसंधान तअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ंअनुसंधान पअनुसंधान नअनुसंधान िअनुसंधान अनुसंधान सअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान

[illegible]

[illegible]

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील No.1434।

2013 के सी. आर. एल. एम. ए. No.602 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 16.08.2018 के निर्णय और आदेश से।

एच.

565 ए.

566

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुनील फर्नांडिस, सुश्री नूपुर कुमार, दिव्यांश तिवारी, एम. थंगथुराई, सुश्री प्रियांशा शर्मा, सुश्री दीक्षा दादू, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

शैलेश मडियाल, राजेश रंजन, मुकल सिंह, प्रत्यूष श्रीवास्तव, अरविंद कुमार शर्मा, रजत नायर, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, सुश्री देवयानी भट, मैसर्स के. जे. जॉन एंड कंपनी, एड.प्रत्यर्थागणों के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी.

कृष्णा मुरारी, जे।

छुट्टी मंजूर की गई।

सी.

2. वर्तमान अपील 2013 के आपराधिक आवेदन संख्या 602 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय (जिसे इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 1 के खिलाफ निर्देशित है।

तथ्य

डी.

3. वर्तमान अपील के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता कंपनी एक विदेशी संस्थागत निवेशक है और उसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संक्षेप में 'एस. ई. बी. आई.')

द्वारा भारतीय शेयर बाजार में शेयरों और प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, कुछ मुकदमों के कारण, अपीलकर्ता कंपनी ने 2006 में भारतीय बाजारों में व्यापार करना छोड़ दिया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस समय अपीलकर्ता कंपनी के आईसीआईसीआई बैंक के बैंक खाते में शेयर और पैसा था।

ई.

4. इसके बाद, अपीलकर्ता कंपनी को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 102 के तहत दो फ्रीज आदेशों के अधीन किया गया था। पहला रोक आदेश अपीलार्थी कंपनी के खिलाफ 20.10.2006 पर लगाया गया था, और दूसरा रोक आदेश 17.08.2010 पर लगाया गया था। ये उपर्युक्त रोक आदेश, जैसा कि नीचे विस्तार से चर्चा की गई है, अपीलकर्ता कंपनी के खिलाफ एक कथित अपराध की अनुसंधान की आवश्यकता के आधार पर लगाए गए थे। इस बिंदु पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कथित अपराध की उक्त अनुसंधान एक धर्मेस दोशी के खिलाफ शुरू की गई थी, जो किसी भी तरह से अपीलकर्ता कंपनी से संबंधित नहीं है, और वह कभी भी कर्मचारी/शेयर धारक/निदेशक या अपीलकर्ता कंपनी में एक प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति नहीं था।

एफ.

जी.

5. जहां तक पहले फ्रीज आदेश का संबंध है, इस अदालत ने 05.12.2008, 14.05.2009, 16.11.2009 और 17.08.2010 दिनांकित आदेशों के माध्यम से

एच.

567

मेसर्स जर्मीन कैपिटल एल. एल. सी. दुबई बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ अनुसंधान एंड ऑर्स। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

अपीलार्थी कंपनी को अपने खाते में शेयरों को बेचने, इसे नकद में बदलने और ब्याज के साथ और बैंक गारंटी के बिना प्राप्त धन को वापस करने की अनुमति दी, जबकि पहला फ्रीज ऑर्डर अभी भी चालू था। उपर्युक्त आदेशों के संदर्भ में, अपीलकर्ता कंपनी ने एक करोड़ रुपये की राशि वापस भेजी। बिना किसी बैंक गारंटी के 42.51 करोड़।

6. इसलिए हमारे सामने पेश किया गया मुद्दा दूसरे फ्रीज ऑर्डर तक सीमित है। दूसरा रोक आदेश, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा 17.08.2010 पर पारित किया गया था, ने अपीलकर्ता कंपनी को

रुपये की राशि वापस करने में असमर्थ बना दिया था। 38.52 करोड़, जो प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण दिनांक 08.05.2006 द्वारा पारित एक आदेश के अनुसार अपीलार्थी कंपनी के पक्ष में प्राप्त किया गया था।

बी.

सी.

7. पीड़ित, अपीलकर्ता कंपनी ने राहत के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था, और 12.10.2011 दिनांकित आदेश के माध्यम से, इस अदालत ने अपीलकर्ता कंपनी को उक्त राशि जारी करने के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।

8. तत्पश्चात, विद्वत विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विधिवत ध्यान देने के बाद कि इस न्यायालय ने अपीलार्थी कंपनी को रुपये की राशि वापस करने की अनुमति दी थी। 42.51 करोड़, दिनांकित 02.11.2012 आदेश के माध्यम से, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलकर्ता कंपनी रुपये की राशि को वापस करने की हकदार थी। हालाँकि, इस तरह की निधियों को जारी करना बैंक गारंटी के अधीन था जो निकासी के लिए मांगी गई राशि के बराबर थी।

डी.

ई.

9. बैंक गारंटी के उक्त अधिरोपण से व्यथित, अपीलकर्ता कंपनी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, हालांकि, दिनांक 16.08.2018 के विवादित आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने बैंक गारंटी के अधिरोपण को दोहराया। इसलिए अपीलकर्ता कंपनी ने विवादित आदेश और फैसले के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की है।

एफ.

विश्लेषण

10. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है, हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नोटिस दिए जाने के बावजूद प्रत्यर्थी नं।12, आईसीआईसीआई बैंक, उन्होंने उपस्थित नहीं होने का फैसला किया है।

11. यह हमारी राय है कि निचली अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों को नंगे पढ़ने से पता चलेगा कि बैंक गारंटी लागू करना और प्रत्यर्थी द्वारा पारित फ्रीज आदेश, केवल इस आधार पर लगाए गए थे कि एक धर्मेश दोशी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जीवित थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपीलकर्ता कंपनी से जुड़ा हुआ है।

जी.

एच.

12. अभिलेख पर दस्तावेजों को देखते हुए, यह हमारे संज्ञान में आया है कि उक्त धर्मेश दोशी, जिसके आधार पर बैंक गारंटी की शर्त लगाई गई थी, को अब निचली अदालत द्वारा कथित अपराधों से मुक्त कर दिया गया है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उक्त धर्मेश दोशी, जिसे कथित अपराध से मुक्त कर दिया गया है, कभी भी अपीलकर्ता कंपनी में कर्मचारी/शेयर धारक/निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति नहीं था।

बी.

13. चूंकि उक्त धर्मेश दोशी का अपीलकर्ता कंपनी से कोई संबंध नहीं था, इसलिए उसके द्वारा सामना किया गया मुकदमा उसकी व्यक्तिगत क्षमता में था, न कि अपीलकर्ता कंपनी की ओर से प्रत्यक्ष रूप से। 14. ऐसी परिस्थिति में, जहां अपीलकर्ता कंपनी और आरोपी धर्मेश दोशी दो अलग-अलग संस्थाएं हैं, और अपीलकर्ता कंपनी किसी भी तरह से संबंधित अनुसंधान से जुड़ी नहीं है, अपीलकर्ता कंपनी के खिलाफ फ्रीज आदेश का संचालन कानूनी रूप से मान्य नहीं है।

सी.

15. इसके अलावा, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता कंपनी का नाम आज तक प्राथमिकी या आरोप पत्र में नहीं लिया गया है जिसमें उपर्युक्त धर्मेश दोशी आरोपी है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी सी. बी. आई. की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश मडियाल ने निर्देशों के आधार पर खुली अदालत में हमारे सामने एक बयान दिया जिसमें कहा गया कि विवाद से संबंधित अपीलकर्ता कंपनी के खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है।

डी.

ई.

16. ऐसी परिस्थिति में, भले ही हम यह मान लें कि आरोपी धर्मेश दोशी के आरोपमुक्त किए जाने को बाद में उलट दिया जाता है, और वह दोषी ठहराया जाता है, फिर भी इस तरह की दोषसिद्धि का अपीलकर्ता कंपनी की संपत्तियों पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अपीलकर्ता कंपनी पर अपराध का हिस्सा होने का आरोप नहीं है।

एफ.

17. चूँकि अपीलकर्ता कंपनी कथित अपराध से जुड़ी नहीं है, और प्राथमिकी या आरोप पत्र में उसका उल्लेख नहीं मिला है, इसलिए अपीलकर्ता कंपनी की संपत्तियों के खिलाफ फ्रीज आदेश अनुसंधान के लिए अनावश्यक है, क्योंकि अपीलकर्ता कंपनी स्वयं अनुसंधान के निष्कर्ष के लिए आवश्यक नहीं है।

जी.

18. यह भी हमारे संज्ञान में आया है कि रोक आदेश का संचालन 17 वर्षों की अवधि से सक्रिय है और इससे अपीलकर्ता कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। फ्रीज ऑर्डर का उद्देश्य, और फ्रीज ऑर्डर के विस्तार में बैंक गारंटी, केवल ए में हो सकती है

एच.

569

मेसर्स जर्मिन कैपिटल एल. एल. सी. दुबई बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ अनुसंधान एंड ऑर्स।
[कृष्णा मुरारी, जे।]

कथित अपराध के खिलाफ अनुसंधान में सहायता के लिए कार्रवाई। चूँकि अपीलकर्ता कंपनी के खिलाफ अनुसंधान, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अनावश्यक है, इसलिए अपीलकर्ता कंपनी की संपत्तियों को फ्रीज करना और फ्रीज आदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगाई गई बैंक गारंटी भी अनावश्यक हो जाती है।

19. उपर्युक्त तथ्यों और चर्चाओं के आलोक में, अपीलार्थी पर नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए लगाई गई शर्त कायम रखने के लिए उत्तरदायी नहीं है और इसलिए इसे अलग कर दिया जाता है। 20. इसमें आक्षेपित आदेश उस हद तक संशोधित किए गए हैं और अपील, तदनुसार, स्वीकार्य है।

बी.

सी.

21. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी को 4 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ उपरोक्त राशि निकालने की अनुमति दी जाएगी, जो वास्तविक भुगतान की तारीख तक 08.05.2006 से देय होगी।

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

डी.

(सहायक: रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.